न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/10

किशन लाल आत्मज श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शीतल प्रकाश मीना आत्मज परमानन्द मीना जाति मीना निवासी के0 आर0 132 सिविल लाईन्स, नयापुरा कोटा ।
2. छीतर लाल पुत्र कपूरी लाल ।
3. प्रकाश पुत्र कपूरी लाल ।
4. पन्नी पुत्री कपूरीलाल ।
5. कलावती पुत्री कपूरीलाल ।
6. नट्टी पुत्री कपूरी लाल ।
7. तेजमल (मृतक) पुत्र कालू जरिये कायममुकामान :-
   7/1. लाभ चन्द (मृतक) पुत्र स्व0 तेजमल जरिये कायममुकामान :-
   7/1/1. अशोक पुत्र स्व0 लाभचन्द ।
   7/1/2. महावीर पुत्र स्व0 लाभचन्द ।
   7/1/3. हंसराज पुत्र स्व0 लाभचन्द ।
   7/1/4. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 लाभचन्द ।
   7/1/5. धन्नी बाई बेवा स्व0 लाभचन्द निवासीगण किशन ठेकेदार के पास बालिता रोड कुन्हाडी, कोटा ।
   7/2. पुष्पचन्द पुत्र स्व0 तेजमल ।
   7/3. झूमर बाई पुत्री स्व0 तेजमल निवासीगण किशन ठेकेदार के मकान के पास बालिता रोड कुन्हाडी, कोटा ।
8. माधो लाल (मृतक) पुत्र बजरंग लाल जरिये कायममुकामान :-
   8/1. देवकरण पुत्र स्व0 माधो लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   8/2. कैलाश बाई पत्नी स्व0 मोहन जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   8/3. अविनाश मीणा पुत्र स्व0 मोहन जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   8/4. सुन्दर बाई पतनी स्व0 माधो लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. लाडकंवरी पुत्री परसराम जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. राजस्थान सरकार जरिये अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

संख्या : 15/15

किशन लाल आत्मज श्री प्रभू उर्फ प्रभूलाल जाति मीना निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. शीतल प्रकाश मीना आत्मज परमानन्द मीना जाति मीना निवासी के0 आर0 132 सिविल लाईन्स, नयापुरा कोटा ।
2. छीतर लाल पुत्र कपूरी लाल ।
3. प्रकाश पुत्र कपूरी लाल ।
4. पन्नी पुत्री कपूरीलाल ।
5. कलावती पुत्री कपूरीलाल ।
6. नट्टी पुत्री कपूरी लाल ।
7. तेजमल (मृतक) पुत्र कालू जरिये कायममुकामान :-
   7/1. लाभ चन्द (मृतक) पुत्र स्व0 तेजमल जरिये कायममुकामान :-
   7/1/1. अशोक पुत्र स्व0 लाभचन्द ।
   7/1/2. महावीर पुत्र स्व0 लाभचन्द ।
   7/1/3. हंसराज पुत्र स्व0 लाभचन्द ।
   7/1/4. नन्दकिशोर पुत्र स्व0 लाभचन्द ।
   7/1/5. धन्नी बाई बेवा स्व0 लाभचन्द निवासीगण किशन ठेकेदार के पास बालिता रोड कुन्हाडी, कोटा ।
   7/2. पुष्पचन्द पुत्र स्व0 तेजमल ।
   7/3. झूमर बाई पुत्री स्व0 तेजमल निवासीगण किशन ठेकेदार के मकान के पास बालिता रोड कुन्हाडी, कोटा ।
8. माधो लाल (मृतक) पुत्र बजरंग लाल जरिये कायममुकामान :-
   8/1. देवकरण पुत्र स्व0 माधो लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   8/2. कैलाश बाई पत्नी स्व0 मोहन जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   8/3. अविनाश मीणा पुत्र स्व0 मोहन जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   8/4. सुन्दर बाई पतनी स्व0 माधो लाल जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
9. लाडकंवरी पुत्री परसराम जाति मीणा निवासी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा
10. राजस्थान सरकार जरिये अभिभाषक, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री संजय शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलो में ।
2. श्री विजय सिंघल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 11.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.01.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने से तथा समान पक्षकार होने से तथा एक ही वादग्रस्त आराजी के सम्बन्धित होने से तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री की एवं दूसरी अंतिम डिक्री की होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा में नया खाता संख्या 22 की आराजी खसरा नम्बर 342 रकबा 1.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 344 रकबा 1.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 1.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 528 रकबा 0.99 हैक्टर, खसरा नम्बर 542 रकबा 0.79 हैक्टर कुल 07 किता रकबा 6.26 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खाते की भूमि है । उक्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/12 एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी क्रम 2 लगायत 7 का हिस्सा 1/6 (प्रत्येक का 1/36) प्रतिवादी क्रम 08 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी क्रम 09 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी क्रम 10 का हिस्सा 1/12 प्रतिवादी क्रम 11 का हिस्सा 1/6 निहित है । वादी द्वारा उक्त आराजी में अपना हिस्सा 1/12 जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.10.2011 से रिंकू पुत्र मूलचन्द, अनीता पुत्री मूलचन्द एवं कैलाश बाई बेवा मूलचन्द से क्रय किया गया । तब से वादी उक्त आराजी के 1/12 हिस्से पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है । वादी अपने हिस्से की आराजी को विभाजन करा कर अपने पृथक खाते में दर्ज करवाना चाहता है जिसका उसके विधिक अधिकार प्राप्त है ।

4. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर उक्त आराजी के 1/12 हिस्से को वादी के पृथक खाते में दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा मौके पर कब्जा वादी को संभलाया जावे तथा पृथक से लगान कायम किये जाने हेतु प्रतिवादी क्रम 12 को आदेशित किया जावे । प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे उक्त आराजी में वादी के शांतिपूर्ण चले आ रहे कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न ही वादी को उक्त भूमि से बेदखल करें, ऐसा कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 04.12.2014 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर । प्राथमिक डिक्री के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 02.01.2015 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.01.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 10 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.01.2012 की नियत पेशी पर उपस्थिति हेतु अपीलान्ट को जो नोटिस भिजवाया गया था वह अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ था । तामील कुनिन्दा द्वारा समुचित पूछताछ व जॉच किये बिना ही नरेन्द्र (पुत्र) को नोटिस दे दिया गया जबकि वास्तविकता में अपीलान्ट व नरेन्द्र के मध्य विगत 4–5 वर्षों से बोलचाल नहीं है तथा दोनों अलग–अलग रहते हैं । नरेन्द्र द्वारा अपीलान्ट को ऐसे किसी सम्मन की जानकारी नही दी गई । इस प्रकार उक्त विचाराधीन वाद का कोई नोटिस अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं । अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व राजस्व मण्डल नियमों की पालना नहीं की गई है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमि डिक्री एवं अंतिम डिक्री दोनों निरस्त फरमाये जावें ।

7. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त आराजी के बाबत् प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री जारी की है । अपीलान्ट को विधि सम्मत रूप से सूचना नहीं दी गई । अपीलान्ट को नोटिस नहीं दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रेषित कोई नोटिस न तो अपीलान्ट को प्राप्त हुआ है और न ही अपीलान्ट ने नोटिस लेने से इंकार किया है । प्रोपर तामील नहीं करवाई गई है, तामील कुनिन्दा ने बिना जॉच किये नरेन्द्र पुत्र को नोटिस दिया जाना अंकित किया है जबकि अपीलान्ट एवं नरेन्द्र के मध्य 4–5 वर्ष से बोलचाल नहीं है । दोनों अलग–अलग रहेते हैं अपीलान्ट को सम्मन की काई जानकारी नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.06.2012 कौ वादी रेस्पोडेन्ट को पुनः सम्मन पेश करने के निर्देश दिये थे परन्तु उनके द्वारा कोई तलवाना पेश नहीं किया गया है और आगामी तारीख दिनांक 06.07.2012 को अपीलान्ट की तलबी किये बिना एकतरफा कार्यवाही की गई है । अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया गया है । अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व भी अपीलान्ट को कोई आपत्ति पेश करने का नोटिस नहीं दिया गया है । मौके पर नहीं बुलाया गया है और कब्जे का ध्यान नहीं रखा गया है और सडक के पास की भूमि रेस्पोडेन्ट को दे दी गई है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री दोनों ही विधि–विरूद्ध हैं । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.01.2015 निरस्त फरमाये जावें ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से अपीलान्ट के पुत्र को तामील करवाई गई है । जो उनके परिवार के सदस्य हैं, अपीलान्ट ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि अपीलान्ट एवं उनका पुत्र अलग–अलग रहते हों । इस आशय की शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है । अपीलान्ट अपने पुत्र को नोटिस की तामील होना स्वीकार करते है, पुत्र परिवार में आता है । अधीनस्थ

न्यायालय में दावा सन् 2011 में पेश किया गया था और पक्षकारान रिश्तेदार हैं और वर्ष 2014 में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है । अपीलान्ट को समस्त तथ्यों की जानकारी है उन्होंने हिस्से को चैलेंज नहीं किया है तकनीकी आधार पर प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण है इस बारे में अपीलान्ट ने एक शब्द भी नहीं बताया है । हर खसरे का टुकडा किया जाना आवश्यक नहीं होता है किसी अन्य प्रतिवादी ने अपील नहीं की है । अपीलान्ट का हिस्सा कम नहीं किया गया है अंतिम डिक्री की पालना हो चुकी है । स्थगन से पहल वादग्रस्त आराजी वादी ने विक्रय की है अपीलान्ट ने विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में चैलेंज किया था जो खारिज हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जावें और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.01.2015 बहाल रखे जावें ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजी के बाबत् विभाजन एवं अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया था जिसमें अपीलान्ट बहैसियत प्रतिवादी क्रम 10 पक्षकार है । उनके खिलाफ दिनांक 06.07.2012 को अधीनस्थ न्यायालय में एकतरफा कार्यवाही की गई है । पत्रावली में सलग्न उनके सम्मन/नोटिस का अवलोकन किया गया । यह सम्मन नरेन्द्र पुत्र को दिया जाना अंकित किया गया है । अपीलान्ट का यह कथन है कि उनके और उनके पुत्र के बीच में बोलचाल नहीं है । उनके पुत्र ने उन्हें इस तथ्य की जानकारी नहीं दी, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदेही का अवसर नहीं मिला है इस क्रम में सीपीसी के आदेश 05 नियम 15 का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार से है –

जहाँ तामील प्रतिवादी के कुटुम्ब के वयस्क सदस्य पर ही जा सकेगी – जहाँ किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास–स्थान से उस समय अनुपस्थित है जब उस पर समन की तामील उसके निवास स्थान पर की जानी है और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की संभावना नहीं है और समन की तामील का उसकी ओर से प्रतिग्रहण करने के लिए सशक्त उसका कोई अभिकर्ता नहीं है वहाँ तमील प्रतिवादी के कुटुम्ब के ऐसे किसी वयस्क सदस्य पर चाहे वह स्त्री हो या पुरूष की जा सकेगी जो उसके साथ निवास कर रहा हो ।

11. अपीलान्ट का यह कथन है कि उनका पुत्र उनके साथ निवास नहीं कर रहा है । इस क्रम में सीसीसी 2018 (2) पेज 70 केरला उच्च न्यायालय का अवलोकन किया – जिसमें यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि सीपीसी के आदेश 05 नियम 15 की अनुपालना में सम्मन परिवार के वयस्क सदस्य पर तामील किये जा सकते हैं परन्तु तामील कुनिन्दा बिना न्यायालय के विशिष्ट आदेश के इस प्रकार परिवार के वयस्क सदस्य पर तामील नहीं कर सकते हैं । माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसमें यह भी होल्ड किया गया है कि जब तक यह तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं आ जाये कि पक्षकार अपने निवास स्थान पर उपलब्ध नहीं था और इस बात की संभावना भी नहीं है कि युक्तियुक्त समय के भीतर वह निवास स्थान पर मिल जायेगा तब तक परिवार के किसी वयस्क सदस्य पर की गई तामील को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता । हस्तगत प्रकरण में तामील कुनिन्दा के द्वारा न तो तामील के यह अंकित किया गया है कि अपीलान्ट अपने निवास स्थान पर नहीं मिला और युक्तियुक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाये जाने की संभावना नहीं है और न ही न्यायालय से परिवार के वयस्क सदस्य को तामील हेतु विशिष्ट आदेश प्राप्त किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के पुत्र

को की गई तामील को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता । सीसीसी 2018 (2) पेज 70 यहॉ चस्पा होती है । हम इस प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद में 03 तनकीयात कायम की थी परन्तु अपने निर्णय में किसी भी तनकी पर अपना विवेचन नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त पत्रावली को लोक अदालत में रखा जाकर निर्णित किया है । जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें समस्त पक्षकारान विधिवत रूप से राजीनामा पेश करें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । दिनांक 01.12.2014 की आदेशिका में वकील उभयपक्ष की उपस्थिति अंकित की गई है व दोनों पक्षकारान को अपने हिस्से के अनुसार बंटवारा किये जाने पर सहमत होना अंकित किया गया है परन्तु न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हैं और न ही समस्त पक्षकारान द्वारा हस्ताक्षरित विधिवत राजीनामा पेश किया गया है । आदेशिका पर मात्र वादी व प्रतिवादी क्रम 9/1 से 9/4 के अभिभाषक के हस्ताक्षर हैं । जब पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश नहीं किया गया हो तो अधीनस्थ न्यायालय को उसे गुणावगुण के आधार पर सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

13. पत्रावली में संलग्न विभाजन रिपोर्ट का हमने अवलोकन किया । विभाजन रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है जबकि राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 के अनुसार तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिए । विभाजन प्रस्ताव के साथ समस्त पक्षकारों के हिस्से को प्रदर्शित करते हुए अलग–अलग स्याही का उपयोग करते हुए नक्शा भी नहीं बनाया गया है । न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को आपत्ति पेश करने का अवसर भी नहीं दिया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री जारी करने में त्रुटि की है क्योंकि राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है ।

14. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 15/10 एवं 15/15 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 04.12.2014 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02.01.2015 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त तनकी कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर, प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 11.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

1/3 झूमर बाइ पुत्री स्व0 तेजमल